क्रम संख्या–1

अर्द्ध शा० प० सं० 108/43–2–2000–14/2 (68)-99

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव।

दूरभाष : का० 221599/238212
फैक्स : 0522–239283
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, एनेक्सी भवन,
लखनऊ–226001
e–mail :csup@\w1.vsnl net. in
दिनांक 15 जनवरी, 2000।

प्रिय महोदय,

कृपया मेरे पूर्व अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2429/43–2–99–14/2 (68)/99, दिनांक 22 अक्टूबर, 1999, जो सचिवालय में विलम्ब की रोकथाम विषयक है, का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

इसी तारतम्य में शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि कतिपय स्तरों पर पत्रावलियों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है। संवेदनशील प्रशासन के दृष्टिकोण से यह कदाचित उचित नहीं है और गंभीर चिन्ता का विषय है। अतएव विभिन्न प्रकार के मामलों में प्रत्येक स्तर पर पत्रावलियों के त्वरित निस्तारण में गतिशीलता लाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई है कि किसी भी स्तर पर 7 कार्य दिवसों से अधिक कोई भी पत्रावली न रुके।

उपरोक्त के प्रकाश में मेरा आपसे अनुरोध है कि विलम्ब की रोकथाम हेतु सचिवालय नियम संग्रह की व्यवस्थाओं को अंगीकार करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर पत्रावली 7 कार्य दिवसों से अधिक न रुके। किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि जो पत्रावली अतिशीघ्र निस्तारित की जा सकती है, उसमें भी 7 दिन का समय लगाया जाये।

उक्त आदेशों का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि किसी स्तर पर इन आदेशों का पालन करने में शिथिलता परिलक्षित होती है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करके अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,
योगेन्द्र नारायण।

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (नाम से)
उत्तर प्रदेश शासन।